

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

जुगराज वगै० बनाम ग्यारसी लाल वगै०

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 103/2025

GCMS NO 2025/311

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.25	<p>अपील श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांत अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 60/25 उनवानी ग्यारसीलाल बनाम जुगराज वगै० मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.6.25 व संशोधित आदेश दिनांक 1.7.25 के विरुद्ध पेश की गई है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। वर्तमान में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण/अपीलांत की तलबी में विचाराधीन है। इस प्रकार न्यायहित में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नियत दिनांक 29.9.25 को अपीलांत/अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए अन्दर 2 माह में प्रकरण का अंतिम निस्तारण करें। अपीलांत को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 29.9.25 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर